

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/निदेशक,
परिषद से सम्बद्ध नवीन शिक्षण संस्थान,
राजकीय/अनुदानित/निजी क्षेत्र/पीपीपी मोड।

लखनऊ: दिनांक: 19.09.2024

पत्रांक: प्राशिप/परिषद/2024/7209

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में नवीन शिक्षण संस्थानों के दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति) मास्टर डाटा बेस सम्मिलित कराने संबंधी।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं०: आई-721524/2024/64-2010(099)/1/2024, दिनांक: 02.09.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर कक्षाओं में (कक्षा 11-12 को छोड़कर) अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत की गई है।

समाज कल्याण अनुभाग-3 के उपरोक्त पत्र के बिन्दु 3 में क्रमांक 1 के अनुसार समाज कल्याण की दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन करना है। परिषद द्वारा पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों को अग्रसारित किये जाने की कार्यवाही की जानी है। शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर आवेदन करते समय संस्था का नाम परिषद द्वारा निर्गत सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पत्र के समान ही होना चाहिये। सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पत्र व पंजीकरण आवेदन पत्र के विवरण में भिन्नता होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। त्रुटिरहित आवेदनों को अग्रसारित किये जाने हेतु परिषद को संस्था के निम्न अभिलेखों की आवश्यकता है:-

1. समाज कल्याण की दशमोत्तर छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) पोर्टल पर किये गये ऑन-लाइन आवेदन की पठनीय एवं सत्यापित प्रति।
2. परिषद द्वारा निर्गत सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार पत्र की सत्यापित प्रति।
3. AISHE कोड आवंटन की सत्यापित प्रति।


उपरोक्त अभिलेखों को परिषद की ई-मेल anuparishadbte@gmail.com पर दिनांक: 05.10.2024 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें। त्रुटिपूर्ण आवेदनों को किसी भी दशा में परिषद द्वारा अग्रसारित नहीं किया जायेगा, अन्यथा कि स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक का होगा।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(अजीत कुमार मिश्र)

 सचिव

पृ०सं०: प्राशिप/परिषद/2024/7210-12


तददिनांक: 19.09.2024

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अनु सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र/बुन्देलखण्ड क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त संस्था प्रधानाचार्य/निदेशक को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करने का कष्ट करें।



(अजीत कुमार मिश्र)

 सचिव

प्रेषक,

संजय कुमार दुबे,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 02-09-2024

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर कक्षाओं में (कक्षा 11-12 को छोड़कर) अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु संशोधित समय सारणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1232/पि0व0क0/2024-25, दिनांक 20 अगस्त, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर कक्षाओं में (कक्षा 11-12 को छोड़कर) अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु संशोधित समय-सारणी निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11-12 को छोड़कर), (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना से सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने/एफिलिएटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय/जनपदीय अधिकारी स्तर से सत्यापित एवं लॉक किये जाने तथा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्र/छात्राओं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, उनके द्वारा आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण तक की कार्यवाही हेतु समय-सारणी शासनदेश संख्या-आई/691524/2024/64-2010(099)/1/2024, दिनांक 12-07-2024 द्वारा पूर्व में निर्गत की जा चुकी है।

3- अतः आपके पत्र संख्या-1232/पि0व0क0/2024-25, दिनांक 20 अगस्त, 2024 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा 11-12 को छोड़कर), (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्र/छात्राओं हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधित समय-सारणी निर्गत की जा रही है :-

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (कक्षा 11-12 को छोड़कर) की संशोधित समय-सारणी

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि	संशोधित समयावधि
मास्टर डाटा सत्यापित तथा लॉक करने की कार्यवाही			
1	शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करना:- • प्रदेश में संचालित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए आवेदन की कार्यवाही	15 जुलाई, 2024 से 20 अगस्त, 2024 तक।	15 जुलाई, 2024 से 30 अक्टूबर, 2024 तक।

	<p>विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्स के माध्यम से करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर से संस्थान हेतु पासवर्ड प्राप्त करना। (शैक्षणिक संस्थान स्तर)</p> <ul style="list-style-type: none"> मास्टर डाटा में पूर्व सम्मिलित संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार अनुमोदित सीटों की संख्या, सक्षम पाठ्यक्रमवार निर्धारित शुल्क, एफिलिएटिंग एजेन्स/विश्वविद्यालय के नाम आदि अंकित/अपडेट कर नोडल अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित कर लॉक किया जाना। <p>(शैक्षणिक संस्थान/एफिलिएटिंग एजेन्स/विश्वविद्यालय स्तर)</p>		
2	<p>विश्वविद्यालय/ एफिलिएटिंग एजेन्स/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि का सत्यापन:-</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्स के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को आनलाइन पोर्टल पर अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन लॉक किया जाना। <p>(शैक्षणिक संस्थान/एफिलिएटिंग एजेन्स/विश्वविद्यालय स्तर)</p>	16 जुलाई, 2024 से 30 अगस्त, 2024 तक।	11 नवम्बर, 2024 तक
3	<p>जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा तथा फीस आदि का सत्यापन:-</p> <ul style="list-style-type: none"> प्रदेश के अन्दर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन लॉक किया जाना। किसी पाठ्यक्रम की निर्धारित शुल्क की भिन्नता की स्थिति में जिला छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति की बैठक में अनुमोदनोपरान्त मास्टर फीस पोर्टल पर लॉक की जायेगी। <p>(पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्तर)</p> <p>नोट- शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटा समस्त स्तर से सत्यापित एवं लॉक होने के उपरान्त ही संस्था आवेदन करने वाले छात्रों का आवेदन अग्रसारित कर सकेगी।</p>	16 जुलाई, 2024 से 15 सितम्बर, 2024 तक।	18 नवम्बर, 2024 तक
4	<p>छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन तथा भुगतान की प्रक्रिया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु छात्रों द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (11-12 को छोड़कर) आनलाइन आवेदन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर फाइनल सबमिट आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट 	20 जुलाई, 2024 से 20 नवम्बर, 2024 तक।	यथावत।

	निकाल कर समस्त अभिलेखों सहित उसकी हार्डकॉपी शिक्षण संस्था स्तर पर जमा कराया जाना। (छात्र स्तर)		
5	<p>शिक्षण संस्थान स्तर से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाना:-</p> <ul style="list-style-type: none"> संस्था में अध्ययनरत तथा छात्रवृत्ति पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों द्वारा आवेदन में अंकित समस्त तथ्यों का अभिलेखीय सत्यापन करते हुए, निर्धारित उपस्थिति मानक पूर्ण करने वाले पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त किया जाना। (शिक्षण संस्थान स्तर) छात्र के आवेदन के उपरान्त राज्य एन0आई0सी0 द्वारा छात्र के आधार सीडेड बैंक खातों के विवरण को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड करते हुए बेनीफिशियरी का रिस्पॉस प्राप्त किया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर) 	15 सितम्बर, 2024 से 24 नवम्बर, 2024 तक।	यथावत।
6	विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड किया जाना।	25 नवम्बर, 2024 तक।	यथावत।
7	<p>राज्य एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी किया जाना:-</p> <ul style="list-style-type: none"> पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से सत्यापनोपरान्त प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन के डाटा को विभाग द्वारा प्रदान करार्ये गये बिन्दुओं के आधार पर परीक्षण करते हुए शुद्ध तथा संदेहास्पद डाटा को अलग किया जाना तथा शुद्ध डाटा को सत्यापन हेतु जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर) 	25 नवम्बर, 2024 से 05 दिसम्बर, 2024 तक।	यथावत।
8	<p>संदेहास्पद/त्रुटिपूर्ण आवेदनों को छात्रों के स्तर पर सही कराते हुए पुनः संस्था स्तर से अग्रसारित किया जाना:-</p> <ul style="list-style-type: none"> संदेहास्पद आवेदनों में दृष्टिगत त्रुटियों को सुधारने हेतु छात्रों के लॉगिन में आवेदन को पुनः प्रदर्शित किया जाना तथा छात्रों द्वारा संदेहास्पद आवेदन की त्रुटियों को शुद्ध करते हुए पुनः शिक्षण संस्थान स्तर पर आवेदन की हार्डकॉपी तथा सम्बन्धित अभिलेख जमा करते हुए शिक्षण संस्थान स्तर से पुनः अग्रसारित कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0/छात्र स्तर/शिक्षण संस्थान स्तर) शिक्षण संस्था स्तर से छात्रों द्वारा संशोधित किये गये आवेदनों में से पात्र छात्रों का आवेदन पुनः सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र/त्रुटिपूर्ण आवेदनों को संस्था स्तर से ही निरस्त किया जाना। (शिक्षण संस्थान स्तर) 	06 दिसम्बर, 2024 से 12 दिसम्बर, 2024 तक।	यथावत।
		06 दिसम्बर, 2024 से 15 दिसम्बर, 2024 तक।	यथावत।
9	राज्य एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी:-	16 दिसम्बर,	यथावत।

	<ul style="list-style-type: none"> छात्रों द्वारा संदेहास्पद डाटा में से संशोधित किये गये आवेदनों को राज्य एन0आई0सी0 द्वार विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण कर संदेहास्पद तथा शुद्ध डाटा के रूप में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर) 	2024 से 24 दिसम्बर, 2024 तक।	
10	<p>जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा सत्यापनोपरान्त डाटा लॉक कराया जाना:-</p> <ul style="list-style-type: none"> जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य एन0आई0सी0 द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये शुद्ध तथा संदेहास्पद डाटा का परीक्षण करते हुए जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त किया जाना। (जिला छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति स्तर) 	06 दिसम्बर, 2024 से 10 जनवरी, 2025 तक।	यथावत।
11	<p>राज्य एन0आई0सी0 स्तर से मांग सृजन किया जाना:-</p> <ul style="list-style-type: none"> जनपद स्तरीय समिति तथा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्तर से सत्यापित तथा लॉक डाटा के आधार पर राज्य एन0आई0सी0 द्वारा निदेशालय की लॉगिन/पोर्टल पर मांग उपलब्ध कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर) 	15 जनवरी, 2025 तक।	यथावत।
12	<p>निदेशालय स्तर से धनराशि का अन्तरण:-</p> <ul style="list-style-type: none"> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के डिजिटल सिग्रेचर से लॉक डाटा के आधार पर पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मैप्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना। (निदेशालय स्तर) 	20 जनवरी, 2025 तक।	यथावत।

4- नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

- (1) शिक्षण संस्था में अध्ययनरत छात्र, अपने छात्रवृत्ति आवेदन का नवीनीकरण तभी करेंगे जब उनका वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर प्रणाली होने पर दोनों सेमेस्टर के परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त अगली कक्षा में नियमानुसार प्रवेश पूर्ण कर लिया हो तथा शिक्षण संस्था केवल उन्हीं आवेदनों को अग्रसारित कर सकेगी, जिन छात्रों के विगत वर्ष का प्राप्तांक/पूर्णांक/मेरिट सत्यापित कर पोर्टल पर संस्था द्वारा अंकित किया गया हो।
- (2) उक्त समय सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
- (3) नवीनीकरण छात्र के अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Number), हास्टलर/दिवा छात्र का विवरण संस्था द्वारा अंकित किया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा वार्षिक परीक्षाफल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में

Result not yet declared का विकल्प चुनते हुए आवेदन अग्रसारित किया जायेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेंगा। संस्था द्वारा समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने हेतु आवेदन में परीक्षाफल भरकर निर्धारित समयावधि में अग्रसारित करना होगा।

(5) संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय संस्था अपने स्तर से छात्रों की उपस्थिति का प्रतिशत (अग्रसारण की तिथि तक) पोर्टल पर अंकित करेगी तथा ग्रुप-1 के पाठ्यक्रमों के छात्रों जिनकी आधार आधारित उपस्थिति/फेशियल रिकग्निशन के आधार पर संस्था में दर्ज की जा रही हो, उन्हीं छात्रों का आवेदन संस्था अपने स्तर से सत्यापित एवं अग्रसारित करेगी।

(6) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत पात्र एवं सत्यापित छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि लाभार्थी के आधार सीडेड बैंक खातों में ही अन्तरित होगी। अतः सम्बन्धित छात्र का उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने बैंक खाते को आधार सीडेड रखें। शिक्षण संस्थाएं इस सम्बन्ध में आवेदन करने वाले समस्त छात्रों को अपने स्तर से भी निर्देशित करेगी।

5- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त संशोधित समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार करते हुये सुसंगत शासनादेशों/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के दशमोत्तर कक्षाओं में (कक्षा 11-12 को छोड़कर) अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
(संजय कुमार दुबे)
संयुक्त सचिव
Sanjay Kumar Dubey

Date: 02-09-2024 18:05:15

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- निदेशक, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण।
- 10- प्रबंध निदेशक, श्रीट्रान इंडिया लिमिटेड, लखनऊ।
- 11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(संजय कुमार दुबे)
संयुक्त सचिव ।